

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग_1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 अगस्त, 2019

श्रावण 14, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 1445/79-वि-1—19-1(क)-12-19 लखनऊ, 5 अगस्त, 2019

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 जिससे स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2019) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 का निरसन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2010 का निरसन

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2010) अधिनियमित किया गया है, किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त अधिनियम को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक नियत करने हेतु अधिसूचना के अभाव में उसे प्रारम्भ नहीं किया जा सका। प्रशासनिक विभाग उक्त अधिनियम के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में अत्यधिक त्रुटियों के कारण पूर्वोक्त अधिसूचना जारी नहीं कर सका।

अतएव राज्य विधान मण्डल में विधेयक पुर स्थापित करके उक्त अधिनियम को निरसित किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से, जे0 पी0 सिंह-II, प्रमुख सचिव।

No. 1445(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)-12-19 Dated Lucknow, August 5, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, 'the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Stamp (Nirsan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2019. The Stamp Evam Registration Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STAMP (REPEAL) ACT, 2019 (U.P. Act no. 10 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN ACT

to repeal the Uttar Pradesh Stamp Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Stamp (Repeal) Act, 2019.

Short title

2. The Uttar Pradesh Stamp Act, 2008 is hereby repealed.

Repeal of U.P. Act no. 17 of 2010

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Stamp Act, 2008 (U.P. Act no. 17 of 2010) has been enacted but could not be commenced for want of a notification by the administrative department under sub-section (3) of section 1 of the said Act to appoint a date on which the said Act shall come into force. The administrative department could not issue the notification as aforesaid due to too many errors in Hindi and English version of the said Act.

It has, therefore, been decided to repeal the said Act by introducing a Bill in the State Legislature. The Uttar Pradesh Stamp (Repeal) Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order, J.P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 188 राजपत्र--(हिन्दी)--2019--(559)--599 प्रतियां--(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 65 सा० विधायी--2019--(560)--300 प्रतियां--(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।